

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2478
सोमवार, 08 जुलाई, 2019/7 आषाढ, 1941 (शक)

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवा

2478. डॉ० निशिकान्त दुबे:

श्री अजय कुमार मंडल:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बिहार और झारखंड सहित देश में रोजगार कार्यालयों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी युवाओं सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं;
- (ख) सरकार द्वारा देश में विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने और सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार द्वारा विशेषरूप से बिहार और झारखंड में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए विशेष रूप से उस राज्य सहित देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाएं आरंभ करने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार एवं झारखंड सहित देश में रोजगार चाहने वालों, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, जिन्होंने अपने-आप को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाया, की संख्या नीचे दी गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक अनुबंध में दिए गए हैं।

वर्ष	रोजगार चाहने वालों का पंजीकरण (लाख में)
2014	59.57
2015*	69.39
2016*	59.60

*अनंतिम

(ख) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने (बिहार एवं झारखंड सहित) देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

लोक सभा के दिनांक 08.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2478 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रोजगार चाहने वाले

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	चालू रजिस्टर पर पंजीकृत रोजगार चाहने वाले		
		2014	2015*	2016*
1	आंध्र प्रदेश	87.0	55.7	65.6
2	अरुणाचल प्रदेश	3.1	9.1	7.4
3	असम	269.3	262.8	208.8
4	बिहार	126.0	133.2	258.5
5	छत्तीसगढ़	218.9	216.0	375.6
6	दिल्ली	147.7	64.4	0.0
7	गोवा	21.8	19.0	17.5
8	गुजरात	444.3	474.1	446.8
9	हरियाणा	111.0	127.3	119.1
10	हिमाचल प्रदेश	149.2	169.5	149.6
11	जम्मू और कश्मीर	10.3	7.6	3.4
12	झारखंड	63.2	160.1	69.1
13	कर्नाटक	63.8	62.5	65.2
14	केरल	541.5	442.5	621.0
15	मध्य प्रदेश	312.3	392.9	162.0
16	महाराष्ट्र	686.2	613.3	628.1
17	मणिपुर	17.5	18.8	60.2
18	मेघालय	6.2	14.0	8.0
19	मिजोरम	3.9	8.3	4.9
20	नागालैंड	13.0	28.7	10.9
21	ओडिशा	168.4	132.7	133.6
22	पंजाब	65.6	115.0	91.0
23	राजस्थान	123.8	85.7	113.3
24	सिक्किम #	-	-	-
25	तमिलनाडु	1361.8	1527.3	1215.8
26	तेलंगाना **	-	198.0	47.3
27	त्रिपुरा	30.5	24.8	9.7
28	उत्तराखंड	180.9	191.8	181.3
29	उत्तर प्रदेश	356.4	1008.1	593.3
30	पश्चिम बंगाल	336.4	333.2	246.1
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8.1	11.1	7.0
32	चंडीगढ़	4.7	4.1	14.0
33	दादर एवं नगर हवेली	1.4	0.5	0.7
34	दमन और दीव	0.0	0.7	0.0
35	लक्षद्वीप	0.8	0.2	2.2
36	पुडुचेरी	22.1	26.3	22.7
	योग@	5957.2	6939.4	5959.9

स्रोत: रोजगार कार्यालय सांख्यिकी, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

* अनंतिम;

** 2014 के दौरान की अवधि के आंकड़े आंध्र प्रदेश में शामिल हैं।

@ हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल ना खाएं।